राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 28/22 — दायर दिनांक 29.09.2022

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. गणेशी पुत्री किशना
2. छोटी पुत्री किशना
   सर्वजाति बलाई, सर्वनिवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ़

......प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू–राज0 अधि0 1956

निर्णय — **दिनांक 28.11.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम करकेड़ी पटवार हल्का करकेड़ी भू–अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 171 ख0न0 1616/916 रकबा 1.6180 है0, ख0न0 1618/916 रकबा 0.2912 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9092 है0 भूमि स्थित है। मौके पर उक्त आराजी में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, जिसमें प्रत्येक प्रार्थी का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड अनुसार निहित है।प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार रूपनगढ़ से सीमाज्ञान करने के आदेश पटवारी के नाम से जारी करवाये गये जिस पर सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा किया गया। सीमाज्ञान किये अनुसार पत्थरगढ़ी किया जाना उचित है। आये दिन पड़ौसी खातेदार नींव, सींव को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि नींव सींव को उखाड़ने पर आमदा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। सीमाज्ञान किये अुनसार उक्त खसरा नम्बर की भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से अपनी संयुक्त कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में श्रवणाधिकार क्षेत्र माननीय न्यायालय को प्राप्त है, इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में अप्रार्थी (तहसीलदार रूपनगढ) की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की अंतिम चौसाला आधार संवत् 2070–73 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 171 में ख0न0 1616/916 रकबा 1.6180 है0, ख0न0 1618/916 रकबा 0.2912 है0 गणेशी पुत्री किशना हि0 1/2 जाति बलाई व छोटी पुत्री किशना हि0 1/2 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भदूण के खाता [illegible] रकबा 1.6180 है0, ख0न0 1618/916 रकबा 0.2912 है0 भूमि की पडौसी खातेदा[illegible] करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है [illegible] हेतु तहसीलदा[illegible]गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रुपये 1000/– अक्षरे [illegible] मात्र नियत [illegible] जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। प[illegible] शुल्क [illegible] रुपये 100/– अक्षरे एक [illegible] रुपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:31:02 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)